फर्द अहकाम

**न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर**

प्रार्थना पत्र संख्या 82/2020

**उनवान – रामेश्वर बनाम गोपाल वगै.**

पत्रावली आज दिनांक 21.08.2020 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चूकी है। प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी हो। बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7207, 7208, 7209, 7210, 7219, 7233 कुल किता 12 कुल रकबा 3.93 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरूकलॉं पटवार हल्का बगरूकलॉं ए व बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलॉं तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 09.09.2020 को पेश करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

08/09/20 मूलवाद के अनुसरण में पत्रावली नियत पेशी से पूर्व आज पेश हुई। स्वयं प्रार्थीगण मय वकील प्रार्थीगण उप0। प्रार्थना पत्र का मूलवाद विड्रा के खारिज किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थना पत्र टी.आई. मूलवाद का ही भाग है मूलवाद के विड्रा के खारिज किये जाने के बाद टी.आई. को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दुरुस्त होकर शामिल मूलवाद रहे। निर्णय [illegible] को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

प्रा. श्री रामेश्वर
द्वा. बृजलाल
[illegible]
8-9-2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:08:22 IST
Reason: SelfAttested